

आज ही जारी हो

न्यायिक प्रकरण

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- 1093-1146

दिनांक:- 3.2.2015

पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।

समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय जी.आर.पी जयपुर।

समस्त उपायुक्त पुलिस, जयपुर/जोधपुर

समस्त पुलिस अधीक्षकगण राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

विषय:- डायन प्रथा के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

डी.बी. सिविल रिट(पी.आई.एल.) पिटिशन संख्या 5324/2010 राजस्थान राज्य बनाम शंकर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने उनके आदेश दिनांक 24.09.14 एवं 11.12.14 में अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों में डायन प्रथा की घटनाओं के प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही को पर्याप्त नहीं माना है एवं अप्रसन्नता व्यक्त की है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम एवं इनसे सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट शासन सचिव, गृह(गुप-13) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(13) गृह-13/04 दिनांक 16.09.2004 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या प.6(1) पु.अ./म.अ. /पॉलिसी/01/3723-69 दिनांक 07.10.04, 8051-59 दिनांक 03.12.10 एवं 5229-5240 दिनांक 09.09.2011 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

अतः पुनः लेख है कि डायन प्रथा से सम्बन्धित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कर पूर्व में दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(ओमेन्द्र भारद्वाज)

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अति. महानिदेशक पुलिस, सिविल राइट्स/ए.एच.टी. राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, गृह(गुप-13) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या प. 10(1) गृह-13/2014 दिनांक 16.01.15 के क्रम में।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-13) विभाग

प.6(13)गृह-13/04

जयपुर, दिनांक 16.09.2004

परिपत्र


विषय:-महिला अत्याचारों (विशेष रूप से डायन प्रथा) के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के संबंध में।

जैसा कि विदित है, महिलाओं पर अत्याचार का विषय अत्यन्त ही गम्भीर एवं संवेदनशील है। यद्यपि महिलाओं पर अत्याचार के कारण दर्ज प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश दिये गये हैं, इन प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही वांछनीय होती है, परन्तु फिर भी कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं, विशेषकर दूर दराज, प्राणीय क्षेत्रों में, जिनमें तत्काल पुलिस कार्यवाही में विलम्ब होता है जिससे अभियुक्त गण के विरुद्ध अन्वेषण के दौरान साक्ष्य एकत्रित करने एवं वांछित कार्यवाही करने में कठिनाई आती है और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाता है। इससे जन-मानस में आक्रोश उत्पन्न होता है।

आज के इस वैज्ञानिक युग में महिलाओं पर अत्याचार होना विशेष रूप से डायन प्रथा जैसी कुरीतियों की वजह से समाज के कुछ लोगों द्वारा विनयी भी महिला को डायन बताकर उसे अमानवीय यातनाये देना, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना एवं निर्भय हत्या करने का घोर निन्दनीय कृत्य माना जाता है जिसकी तत्काल रोकथाम किया जाना आवश्यक है।


अतएव ऐसे प्रकरणों में निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित की

1. ऐसे प्रकरणों को तत्काल दर्ज किया जाकर उरका शीघ्र अनुसंधान कर, अन्वेषण का नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये। किसी रिपोर्ट की प्रतीक्षा न की जाये।
2. बिना समय व्यतीत किये पीड़िता का चिकित्साकीय परीक्षण कराया जाये।
3. इन प्रकरणों का अनुसंधान संबंधित वृत्ताधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जाये।
4. अभियोग दर्ज करने के पश्चात पीड़िता के द.प्र.स. की धारा 164 के अन्तर्गत अचिलम्ब नयान दर्ज कराये जाये।
5. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं महानिरीक्षक रैंज अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रकरणों की पाक्षिक/मासिक समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि दर्ज प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है। किसी भी क्षेत्र में डायन प्रकरण घटित होने एवं उरा पर तत्काल कार्यवाही नहीं होने की दृष्टि से संबंधित वृत्ताधिकारी की जिम्मेदारी एवं जबाब देही सुनिश्चित की जाये।
6. डायन होने की निश्चया परिकल्पना की जाती है, जो अवैध है। अतः प्रचार प्रसार के माध्यम से इस कुरीति को हटाने का प्रयास किया जावे।


विशिष्ट शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग।
3. महानिदेशक पुलिस
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त महा निरीक्षक पुलिस रैंज
6. समस्त जिला कलेक्टर
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
8. निदेशक जन सम्पर्क निदेशालय जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव,


11 कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपरधम शाखा), राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक:-प.6(1)गृ.अ./म.अ./पोलिशी/01/ 3723-69

दिनांक:-7-10-04

प्रतिलिपि :-

1. समस्त रैंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान गय उप महानिरीक्षक पुलिस, जी.आर.पी., अजमेर ।
 2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक गण गय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर ।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।


महानिरीक्षक पुलिस(एच.आर.)
सी.आई.डी. (सी.बी.), राजस्थान, जयपुर ।।